

152

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3(43)नविन/02

जयपुर, दिनांक :

25/8
17 AUG 2009

आदेश

687
8/8/09

936

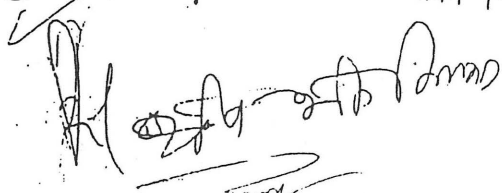
31/8

इस विभाग द्वारा सरलीकरण, समयबद्ध एवं पारदर्शिता के अन्तर्गत 90 बी (3) से सम्बन्धित प्रकरणों के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 25.02.2009 को जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 13(घ) व अन्य बिन्दुओं में स्पष्टीकरण के अभाव में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य स्थानीय निकायों में 90 बी (3) से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण अवरोध है। ऐसी स्थिति में उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 18 (घ) व अन्य बिन्दुओं के संवोध में निम्न स्पष्टीकरण जारी किया जाता है -

1. परिपत्र दिनांक 25.02.09 के बिन्दु संख्या - 13(घ) के संवोध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरायकरण सीमा के बाहर रोड नेटवर्क प्लान से तात्पर्य नेशनल हाइवे / स्टेट हाइवे, नगरीय निकायों / ग्रामण सड़कों / रीको / राजस्थान आवासन मण्डल / सामाजिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत / निर्मित सड़कों आदि भी शामिल हैं, अर्थात् समस्त नगरीय निकायों द्वारा नगरायकरण सीमा से बाहर के ऐसी क्षेत्र जहाँ सेक्टर प्लान / ड्राफ्ट मास्टर प्लान इत्यादि बनाये गये हैं या नहीं बनाये गये हैं, परन्तु आवेदक की भूमि उपर्युक्त वर्गीत / नियोजित सड़कों से सम्बन्ध प्राप्त होता है। उपर्युक्त वर्गीत / नियोजित सड़कों पर लगी हुई हो अथवा परिपत्र के बिन्दु संख्या 12 के अन्तर्गत आदर्शित की (3) एवं नक्शा अनुमोदन की कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु ऐसे प्रकरण जिनमें परियोजना स्थल तक पहुँच हेतु किसी भी प्रकार की स्थानीय सड़क नियोजित नहीं की गई है। ऐसे प्रकरणों में 90-बी (3) कार्यवाही स्थानीय निकायों द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकती।

अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संवोध में उल्लेखित योजनाओं की अतिरिक्त भी निकाय जिन योजनाओं को विकास की दृष्टि से उचित समझे, उन योजनाओं को राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर परियोजनाओं को निकाय स्तर पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

2. परिपत्र दिनांक 25.02.09 के बिन्दु संख्या 15 से 17 व 22 के संवोध में स्पष्ट किया जाता है कि उपांतरण एवं रजामतन के जितने क्षेत्रफल तक के अधिकार निकायों को प्रदत्त किया गया है, उस स्तर तक ऐसे उपांतरण एवं रजामतन को स्वीकार / अस्वीकार करने के प्रकरणों का निस्तारण एवं नगरीय निकाय स्तर पर किया जायेगा। परन्तु इससे अधिक क्षेत्रफल के लिए अस्वीकृति के प्रकरण कारण सहित राज्य स्तरीय समिति राज्य सरकार को अंतिम निर्णय हेतु प्रेषित किये जावेंगे।


7/9/9


(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव